

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)

हमीरगढ़, जिला-भोलवाड़ा

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

2026/18

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरडोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 394, 395 में मेरे पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल मुस्तुफा है जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज में नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र मुस्तुफा है जिसे सही करना आवश्यक अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक

D.N 13
18/12/2025

प्रार्थी

(मस्तुफा)
रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरडोद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 394, 395 में प्रार्थी का नाम मोहम्मद अब्दुल मुस्तुफा दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र मुस्तुफा है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान को सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

18/12/2025
मस्तुफा

पटवारी

मस्तुफा
नवरतन राजावत
पटवारी अरडोद
तहसील-हमीरगढ़

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरडोद व भू.अ.नि. अरडोद एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरडोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 394, 395 में प्रार्थी का नाम मोहम्मद अब्दुल मुस्तुफा के बजाय मोहम्मद हुसैन पुत्र मुस्तुफा किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

12/2026

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

18/12/2025
तहसीलदार हमीरगढ़
जिला-भोलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम अरडोद जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खाता संख्या 394, 395 में दर्ज प्रार्थी का नाम मोहम्मद अब्दुल मुस्तुफा के स्थान पर मोहम्मद हुसैन पुत्र मुस्तुफा संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

मस्तुफा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भोलवाड़ा